

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1977
दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वस्त्रों का संवर्धन

1977. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वस्त्रों जैसे कछोरा साड़ी और बस्तर कढ़ाई के प्रलेखन, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कौन-कौन सी विशिष्ट पहलें की जा रही हैं;
- (ख) छत्तीसगढ़ के स्थानीय कारीगरों को कुशल बनाने के लिए समर्थ, एनएचडीपी और सीएचसीडीएस जैसी इन योजनाओं को किस प्रकार तैयार किया गया है;
- (ग) क्या छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वस्त्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया पहल में शामिल किया जा रहा है;
- (घ) क्या छत्तीसगढ़ के बुनकरों और कारीगरों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने हेतु निजी उद्योगों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोई सहयोग किया जा रहा है; और
- (ङ) पारंपरिक वस्त्र तकनीकों की प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए नवीनता और समकालीन डिजाइन अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) वस्त्र मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वस्त्रों सहित देश भर में हथकरघा के पारंपरिक वस्त्रों के डॉक्यूमेंट, संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए कई कदम उठाए हैं। 16 बुनकर सेवा केंद्रों में डिजाइन रिसोर्स सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पारंपरिक हथकरघा डिजाइनों को संरक्षित करना और हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता का निर्माण करना है। वस्त्र मंत्रालय भौगोलिक संकेतक (जीआई) अधिनियम, 1999 के तहत पारंपरिक डिजाइनों और पैटर्न की सुरक्षा की भी मांग कर रहा है और जीआई अधिनियम के तहत डिजाइनों/उत्पादों को पंजीकृत करने और जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न योजनाबद्ध इंटरवेंशन्स के तहत बुनकरों और कारीगरों को मार्केटिंग कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, निर्माता कंपनियों के गठन, कारीगरों को सीधा लाभ, बुनियादी ढांचा और तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता आदि के माध्यम से शुरू से अंत तक सहायता प्रदान की जाती है। जिससे देश भर में बस्तर की कढ़ाई सहित पारंपरिक वस्त्र और शिल्प को लाभ मिलता है।

(ख) एनएचडीपी और सीएचसीडीएस योजनाओं के तहत, कारीगरों के उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल कार्यक्रम जैसे गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम, डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला आदि का आयोजन किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना के तहत 2020-21 से अब तक छत्तीसगढ़ के 1640 स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ग) हथकरघा बुनाई स्वाभाविक रूप से 'मेक इन इंडिया' पहल का एक अभिन्न हिस्सा है।

(घ) छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बुनकरों और कारीगरों के लिए बाजार की पहुंच का विस्तार करने के लिए, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को सीधे खरीदारों/उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल (indiahandmade.com) विकसित किया गया है तथा बुनकरों और कारीगरों को सरकारी ई-मार्केट (जेम) पर ऑन-बोर्ड किया गया है ताकि वे अपने उत्पादों को सीधे विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को बेच सकें।

(ङ) हथकरघा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, एनएचडीपी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसंधान और विकास परियोजनाएं स्वीकृत किये जाते हैं और हथकरघा को फैशन से जोड़ने के लिए क्राफ्ट क्लस्टर पहल नामक परियोजना शुरू की गई है, जिसमें निफ्ट के छात्र हथकरघा क्लस्टरों का दौरा करते हैं और बाजार की मांग के अनुसार बुनकरों को समकालीन डिजाइन उपलब्ध कराते हैं।

'एचएलएम कस्टमर ऐप' एक मोबाइल ऐप है जो हथकरघा मार्क लेबल की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है। इसके अलावा, प्रमाणीकरण के लिए हैंडलूम वस्तुओं के साथ हैंडलूम मार्क, इंडिया हैंडलूम ब्रांड, सिल्क मार्क्स और जीआई टैग लगाये जाते हैं।
